

पी.ई.टी परीक्षा 2024 : प्रवेश नियम

दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग
दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर

स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम बी.टेक. (डेयरी टेक्नालॉजी) में प्रवेश हेतु नियम

- 1.0 सामान्य
 - ये नियम पी.ई.टी.परीक्षा प्रवेश नियम 2024 कहलायेंगे जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किये गये हैं। ये प्रवेश नियम बी.टेक. (डेयरी टेक्नालॉजी) स्नातक पाठ्यक्रम में सत्र 2024-25 एवं आगामी सत्र में भी प्रवेश हेतु लागू होंगे।
- 2.0 महाविद्यालय, पाठ्यक्रम का नाम एवं अवधि
 - 2.1 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर इस राज्य का अपनी तरह का एक मात्र महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय के विभिन्न विभागों दुग्ध प्रौद्योगिकी, दुग्ध अभियांत्रिकी, दुग्ध रसायन, दुग्ध सूक्ष्म जीवाणु विभाग, दुग्ध व्यवसाय प्रबंधन विभागों के अंतर्गत दूध एवं दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्कारण के संबंध में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है।
 - 2.2 महाविद्यालय का पता— दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492012
 - 2.3 पाठ्यक्रम का नाम — बी. टेक. (डेयरी टेक्नालॉजी),
 - 2.4 पाठ्यक्रम की अवधि — 4 वर्ष (आठ सेमेस्टर)
 - 2.5 माध्यम — अंग्रेजी (English)
- 3.0 स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता
 - 3.1 भारत का नागरिक हो।
 - 3.2 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
 - 3.3 प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की न्यूनतम आयु प्रवेश वर्ष में कैलेण्डर वर्ष के दिनांक 31 दिसंबर को 17 वर्ष की हो।
 - 3.4 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12 वीं कक्षा भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो।

@ppathar
18/11/24
Dean

Colleges of Dairy Science and Food Technology
RAIPUR (C.G.)

- 3.5 न्यूनतम अंक सीमा
प्रवेश हेतु 10+2 की 12वीं कक्षा भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों सहित सामान्य वर्ग के छात्रों ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको में एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के छात्रों ने न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको में उत्तीर्ण की हो।
- 3.6 इस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 पद्धति की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12वीं कक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किन्तु इन छात्रों का उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हकारी 10+2 की 12वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12वीं कक्षा भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो की मूल अंकसूची प्रस्तुत करेंगे।
- 4.0 उपलब्ध सीटें
- 4.1 राज्य हेतु निर्धारित कोटे के अनुसार कुल सीटों की संख्या 60 है उपलब्ध सीटों पर श्रेणीवार एवं वर्गवार आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार प्रवेश के समय राज्य में लागू आरक्षण प्रावधान के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा ।
- 4.2 ऐसे आवेदक जो मुख्य अर्हकारी परीक्षा 10+2 की 12 वीं कक्षा भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण न होकर किसी अन्य परीक्षा/विषयों में उत्तीर्ण हुये हों, वे प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे भले ही उन्होंने पी.ई.टी. 2024 की प्रवीण्य सूची में स्थान क्यों न प्राप्त कर लिया हो।
- 4.3 कुल सीटों (60) के अलावा 12 सीटें आई.सी.ए.आर कोटा के लिये उपलब्ध रहेंगी जिसे अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 2024 (AIEEA-2024) के माध्यम से आई.सी.ए.आर द्वारा आबंटन किया जावेगा एवं एक सीट J&K राज्य के विस्थापितों के लिए रहेगी ।
- 5.0 मूल निवासी, आरक्षित सीटें एवं आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्रता एवं अर्हता
दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर में प्रवेश के समय छ.ग. राज्य में लागू आरक्षण प्रावधान के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा ।

Apaltri
18/1/24

Dean

College of Dairy Science and Food Technology
RAIPUR (C.G.)

5.1 मूल निवासी की शर्तें

5.1.1 जो भारत का नागरिक हो ।

5.1.2 (क) जिसने विगत पांच वर्षों की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो।
(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो:

(i) छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी। (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)

अथवा

(ii) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 01 जनवरी 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो।
(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)

स्पष्टीकरण-1 छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये निर्देश लागू होंगे ।

टिप्पणी : छत्तीसगढ़ मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की गोल सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है ।

स्पष्टीकरण-2 अभिभावक

किसी भी उम्मीदवार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार

Apathi
18/1/24
Dean

का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण-3 दत्तक पत्र/पुत्री

यदि कोई आवेदक सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

5.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़ कर) के लिए आरक्षण

5.2.1 छत्तीसगढ़ राज्य के (मूल निवासी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के पुत्रों/पुत्रियों के लिए आरक्षण उपलब्ध होगा। प्रवेश के समय राज्य में लागू आरक्षण प्रावधान के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा ।

5.2.2 ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधी दस्तावेजों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेश लागू होंगे ।

5.3 कृषक/K

5.3.1 सभी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में कार्यरत किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो, के पुत्र/पुत्रियों के लिए शासन के नियमानुसार होरिजन्टल आरक्षण (5 प्रतिशत) उपलब्ध होगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी आवेदन फार्म में कृषक वर्ग हेतु आवेदन करता है और वह मैरिट में आता है लेकिन किन्हीं कारणों से वह निर्धारित प्रारूप में

Apalthy
18/1/24
Dean

प्रमाण पत्र नहीं लाता है तो उसे कृषक वर्ग में प्रवेश का लाभ नहीं दिया जा सकता है। तथापि उसकी मैरिट, जिस वर्ग/संवर्ग का वह अभ्यर्थी है, उसमें मान्य होगी एवं उसे सीट उपलब्ध होने पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। अभ्यर्थी इस वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या देखकर ही उस वर्ग के विकल्प को चुने।

- 5.3.2 इस वर्ग के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र/पुत्रियों को प्राप्त होगा, जिन्होंने प्राथमिक (पांचवी) माध्यमिक (कक्षा आठवी) मैट्रिक/हाई स्कूल (कक्षा दसवी) तथा उच्चतर माध्यमिक (कक्षा बारहवी) में से कोई दो परीक्षाएँ ग्रामीण क्षेत्र की शाला से नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण की हों। यह नियम स्वाध्यायी छात्रों के लिए भी समान रूप से लागू होगा।
- 5.3.3 शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 5.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/F.F.
- 5.4.1 सभी श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों/पौत्र/पौत्रियों के लिए शासन के नियमानुसार होरिजन्टल आरक्षण (3 प्रतिशत) उपलब्ध होगा।
- 5.4.2 इस वर्ग में आरक्षण का लाभ लेने हेतु वे छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं और जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पूंजी/सूची में दर्ज है। इसी अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक उनकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में हों, तो इन्हे भी आरक्षण का लाभ दिया जावेगा
- 5.4.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 5.5 महिला/F
- सभी श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला उम्मीदवारों के लिए शासन के नियमानुसार होरिजन्टल आरक्षण (30 प्रतिशत) उपलब्ध होगा।
- 5.6 जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग/J&K
- 5.6.1 जम्मू कश्मीर के ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश वर्ष के जनवरी माह अथवा उसके पूर्व की किसी तिथि से निवास कर रहे हैं, के पुत्र/पुत्रियों के लिये बी.टेक.(डेयरी टेक्नालॉजी) स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में वर्तमान प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त एक सीट आरक्षित है।
- 5.6.2 इस वर्ग के प्रत्याशियों की छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा पृथक से मैरिट सूची तैयार की जावेगी। इस वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित जिले के

@pathu
18/1/24
Dean

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 5.6.3 इस वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू कश्मीर राज्य आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण के लिये की गई हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.7 दिव्यांग उम्मीदवार/P.H.

- 5.7.1 ऐसे उम्मीदवार जो दिव्यांग/विकलांग हों उनके लिये छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार सभी श्रेणी के अंतर्गत होरिजोन्टल आरक्षण (03 प्रतिशत) उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश मान्य होंगे।

- 5.7.2 इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को जिला चिकित्सा मंडल तथा अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगे।

5.8 भूतपूर्व सैनिक/Ex-serviceman (Ex.)

सभी श्रेणी के अंतर्गत प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक सैनिक/भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्रियों के लिए शासन के नियमानुसार होरिजोन्टल आरक्षण (03 प्रतिशत) उपलब्ध होगा। जिसके लिए छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं। प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक सैनिक/भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.0 प्रवेश प्रक्रिया

- 6.1 बी.टेक. (डेयरी टेक्नालॉजी) पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित 'पी.ई.टी. 2024 परीक्षा' के परिणाम की मेरिट के आधार पर 10+2 की 12 वीं कक्षा भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जावेगा।
- 6.2 'पी.ई.टी. 2024 परीक्षा' के परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर की जावेगी।
- 6.3 प्रवेश का अवसर लेने हेतु विस्तृत कौन्सिलिंग कार्यक्रम की तिथि की जानकारी राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जावेगी। प्रवेश की कौन्सिलिंग कार्यक्रम की तिथि के संबंध में जानकारी दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय की वेबसाईट

@patti
18/1/24
Dean

College of Dairy Science and Food Technology
RAIPUR (C.G.)

www.cgkv.ac.in पर भी उपलब्ध कराई जावेगी। प्रवेश का अवसर लेने हेतु पृथक से बुलावा पत्र (Call Letter) नहीं भेजा जावेगा।

6.4 रिक्त सीटों पर प्रवेश

- 6.4.1 आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग में भी प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।
- 6.4.2 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी के बिना वर्ग के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे।
- 6.4.3 यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जायेगी।
- 6.5 पी.ई.टी. द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची समाप्त हो जाने के पश्चात रिक्त सीटों पर प्रवेश
- 6.5.1 पी.ई.टी. 2024 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची समाप्त हो जाने के पश्चात यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो उस पर प्रवेश हेतु निम्न अर्हताधारी उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा जिसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर की रिक्त सीटों की संख्या दर्शाते हुये अलग से विज्ञापन जारी किया जावेगा।
- 6.5.2 दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 की 12 वीं कक्षा या अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12वीं कक्षा में भौतिक, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी विषयों सहित सामान्य वर्ग के छात्रों ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों में एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के छात्रों ने न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण की हो।
- 6.5.3 छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार न होने की दशा में राज्य के बाहर/अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवीण्यता के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़ कर) श्रेणी में केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र होंगे) अन्य

@palthi
18/1/24

Dean

College of Dairy Science and Food Technology
RAIPUR (C.G.)

राज्यों के उम्मीदवार हेतु संबंधित राज्य द्वारा आयोजित (बोर्ड) 10+2 की (उपरोक्त वर्णित विषयों के साथ) परीक्षा मान्य होगी ।

- 6.5.4 ऐसे आवेदक जो मुख्य अर्हकारी परीक्षा 10+2 की 12 वीं कक्षा भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण न होकर किसी अन्य परीक्षा/विषयों में उत्तीर्ण हुये हों, वे प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 6.6 महाविद्यालय में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक ही किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त स्थान रिक्त रहने पर उन्हें नियमानुसार भरने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा क्योंकि विश्वविद्यालय में सेमेस्टर पद्धति से पढाई होती है ।
- 7.0 पी.ई.टी. परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि
- 7.1 आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हें सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जायेगा व उतनी संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम प्रवेशित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा, परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों में हॉरीजन्टल आरक्षण के अंतर्गत वर्गों में लागू नहीं होगा ।
- 7.2 आरक्षित श्रेणी/वर्ग के जिन प्रत्याशियों को सामान्य श्रेणी में प्रवेश प्राप्त हो रहा है, उन्हें भी निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7.3 पी.ई.टी. 2024 में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रवीण्यता समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। इस हेतु पी.ई.टी. 2024 के पाठ्यक्रमों के लिये विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार मानकर निश्चित की जायेगी:-
1. गणित
 2. भौतिकी
 3. रसायन
- उक्त तीनों विषयों में भी समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों में प्राथमिकता अधिक उम्र वाले विद्यार्थी को दी जायेगी । यदि उपरोक्त के अनुसार उम्र भी समान होगी तब 12वीं के कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी ।
8. प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण
- प्रवेश के लिए आवेदक को पाठ्यक्रम में संबंधित प्रवेश नियमों में उल्लेखित योग्यता/अर्हता शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्रों में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु निम्नलिखित आवश्यक मूल प्रमाण पत्र कौंसिलिंग के समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे।
- (i) पी.ई.टी. 2024 की अंक सूची (ii) 10वीं की अंक सूची (iii) 12वीं की अंक सूची
- (iv) मूल निवासी प्रमाण पत्र (v) जाति प्रमाण पत्र (vi) आय प्रमाण पत्र

Apaltri
18/11/24

(vii) वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र (viii) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (ix) अंतराल प्रमाण पत्र

(x) प्रवजन प्रमाण पत्र (xi) चरित्र प्रमाण पत्र (xii) चिकित्सा प्रमाण पत्र

9.0 अभ्यर्थियों हेतु अन्य शर्तें एवं जानकारियाँ

- 9.1 आवेदक को उसी श्रेणी के अंतर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।
- 9.2 जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र मान्य निर्धारित प्रारूप/छत्तीसगढ़, शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 9.3 उम्मीदवार द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- 9.4 यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय किसी ऐसे अभ्यर्थी का चयन कर लेते हैं/प्रवेश दे देते हैं जो द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता/अर्हता नहीं रखता है, उन्हें द्वारा प्रवेश नहीं दिया जावेगा। जानकारी होने पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उन्हें तत्काल निष्काषित कर दिया जावेगा और इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 9.5 दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अन्तर्गत आने वाले दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर में रैगिंग पूर्णतः निषेध है।

10.0 प्रवेश निरस्तीकरण

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था, तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।

प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटान हेतु पशुपालन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन सर्वोच्च निर्णायक होगा। यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है तो उसके निराकरण का अधिकार दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग को होगा। प्रवेश नियमों में किसी प्रकार के संशोधन का अधिकार दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग को होगा।

Appathw
18/1/24
Dean

College of Dairy Science and Food Technology
RAIPUR (C.G.)

प्रमाण पत्रों का प्रारूप

प्रारूप - 1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)अनुभाग जिला छत्तीसगढ़ पुस्तक क्रमांक
प्रमाण पत्र क्रमांक प्रकरण क्रमांक

स्थायी जाति प्रमाण-पत्र

- यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... पिता का नाम निवास ग्राम
/नगर.....पटवारी हल्का नं.....वि.खं.....तहसीलजिला.....
.....संभाग.....
जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के
अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संघ में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और
यहजाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के
अन्तर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित है अतः श्री/सुश्री.....
.....पिता/पति का नामअनुसूचित जाति/जनजाति का/की
है।
- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री..... के परिवार की
कुल वार्षिक आय रूपये..... है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

- अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
- केवल विनिरिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गये प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उम सभागीय मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, गृह/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये न कि अभ्यर्थी के अभिभावक के द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप - 2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़ पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक

स्थायी जाति प्रमाण-पत्र

- 1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....आत्मज श्री.....
निवास ग्राम.....जिला संभाग.....छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो
जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिम जाति, अनुसूचित
जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर,
1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला
संभाग..... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ के राज्य में दिनांक
को प्रवजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्रीक्रीमी लेयर (संपन्न वर्ग)
व्यक्तियों/वर्णों की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र
क्रमांक 360/2122/93/स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-03 द्वारा जारी सूची में कालम-3 में तथा
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च
1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

- 2 यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री के परिवार की कुल
वार्षिक आय रूपये.....है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप -3
कार्यरत किसान प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम
- के माता - पिता/श्री/श्रीमती.....
- वास्तविक कार्यरत स्थाई किसान है उनके पास
- हेक्टेयर भूमि..... गाव..... तहसील.....
- जिला..... राज्य छत्तीसगढ़ में है।
- वे कार्यरत वास्तविक कृषक है तथा इनकी जीवित पूर्णतः कृषि पर निर्भर है तथा खेती के अतिरिक्त नौकरी या अन्य पेशे में सलग्न नहीं है।

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी
सील

- 2 यह प्रमाणित किया जाता है कि:-

श्री/श्रीमति/कुमारी..... ने 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं में से निम्न कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र/छात्राओं के रूप में ग्रामीण क्षेत्र की निम्न शालाओं में किया/अथवा स्वाध्यायी छात्र/छात्राओं के रूप में निम्न 2 परीक्षाएं ग्रामीण क्षेत्र की निम्न परीक्षा केन्द्रों से उत्तीर्ण की है -

1. 5वीं कक्षा (प्राथमिक)
2. 8वीं कक्षा (माध्यमिक)
3. 10वीं कक्षा (मैट्रिक हाईस्कूल)
4. 12वीं कक्षा (उच्चतर माध्यमिक)

स्थान :

दिनांक:

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी
सील

प्रारूप -४

जम्मू एवं कश्मीर के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी का नाम) जे
प्रथम वर्ष स्नातक में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री
.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित
है।

स्थान :

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप -5

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

सदस्य क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी का नाम)
 श्री/सुश्री(अभ्यर्थी के
 पिता/माता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री.....
(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)का नाम छत्तीसगढ़ के जिला.....के
 कलेक्टर कार्यालय में सधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक.....पर
 पंजीकृत है।

स्थान

दिनांक:.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा
 प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से
 अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी
 पदनाम एवं सील

प्रारूप -6 (ए)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र
भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित
प्रतिरक्षा कार्मिक की सतान हेतु

सदस्य क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (माता-पिता का नाम)

परीक्षा के आधार पर बी. एफ. एस. सी. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम)
पिता/माता है।

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे
पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांकथा।
(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना मेंपद पर सर्विस क्रमांक
के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए हैं/सेवा के
दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है।

स्थान :

दिनांक:

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय सील

प्रारूप -6 (बी)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र
कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

सदस्य क्रमांक दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) स्नातक प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री.....
.....(अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता (जो लागू न हो उसे काट दे) है व
थलसेना/वायुसेना/नौसेना मेंऔहदे पर सर्विस क्रमांक
...के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक हैं और वह प्रतिरक्षाईकाई में पदस्थ हैं। वे इर
ईकाई में दिनांकसे सेवारत है।

स्थान :

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा)
कार्यालय सील
कमांडिंग आफिसर

प्रारूप -7
स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

सदस्य क्रमांक दिनांक

1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री
आत्मज/आत्मजा/पत्नी..... निवास.....
तहसील..... व जिला..... छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है:-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है।

2. (क) वह

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन)
छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

3. उसके पालकों में से कोई भी:-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

अथवा

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अंचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है।

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो अर्थात्-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा।

प्रारूप -8

कार्यरत मछुआरा प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम..... के
माता-पिता श्री/श्रीमती..... उनके पास

हकटेयर..... गांव..... तहसील.....

जिला..... राज्य छत्तीसगढ़ में है तथा केवल वास्तविक मछुआरा

समुदाय से हैजिनकी जीविका पूर्ण रूप से मछुआरा कार्य पर निर्भर हैं इसके अतिरिक्त नौकरी या

अन्य पेशे में संलग्न नहीं हैं।

स्थान

दिनांक

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी

सील

दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग
पी.ई.टी. परीक्षा 2024: प्रवेश नियम

दुग्ध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (Diploma in Dairy Technology) में प्रवेश हेतु नियम

1.0 सामान्य

ये नियम पी.ई.टी. परीक्षा प्रवेश नियम 2024 कहलायेंगे जो छत्तीसगढ़ व्यवसायिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किये गये हैं। ये प्रवेश नियम दुग्ध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लागू होंगे।

2.0 संस्था, पाठ्यक्रम का नाम एवं अवधि

2.1 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत दो डेयरी पॉलीटेक्निक संस्थाएं संचालित हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को दूध का संकलन व प्रसंस्करण, विभिन्न दुग्ध उत्पादों का निर्माण, दूध एवं दुग्ध उत्पादों का पैकेजिंग व मार्केटिंग इत्यादि तकनीकी पहलुओं पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है।

2.2 संस्था का पता – 1. डेयरी पॉलीटेक्निक कॉलेज, जे एम पी महाविद्यालय परिसर ,
तखतपुर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

2. डेयरी पॉलीटेक्निक कॉलेज, लाइवलीहुड कॉलेज परिसर, चोरभट्टी, बेमेतरा।

2.3 पाठ्यक्रम – दुग्ध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा Diploma in Dairy Technology (D.D.T.)

2.4 अवधि – 2 वर्ष (चार सेमेस्टर)

2.5 माध्यम – हिन्दी (Hindi) एवं अंग्रेजी (English)

3.0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता

3.1 भारत का नागरिक हो।

3.2 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।

3.3 प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की न्यूनतम आयु प्रवेश वर्ष के कैलेंडर वर्ष के अनुसार दिनांक 31 दिसंबर को 17 वर्ष की हो।


Director Extension Education
DSVCKV, DURG

3.4 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12 वीं कक्षा भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो।

3.5 शैक्षणिक योग्यता

प्रवेश हेतु (10+2) की 12 वीं कक्षा भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

3.6 इस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 पद्धति की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12 वीं कक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किन्तु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हकारी 10+2 वर्ष पद्धति की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12 वीं कक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करेंगे।

3.7 ऐसे आवेदक जो मुख्य अर्हकारी परीक्षा (10+2) में उत्तीर्ण न होकर किसी अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्होंने पी.ई.टी. 2024 की प्रवीण सूची में स्थान क्यों न प्राप्त कर लिया हो।

4.0 उपलब्ध सीटों का विवरण

1. डेयरी पॉलीटेक्निक बेमेतरा (छ0ग0) : 30 सीट
2. डेयरी पॉलीटेक्निक तखतपुर, बिलासपुर (छ0ग0) : 30 सीट

5.0 मूल निवासी, आरक्षित सीटें एवं आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्रता एवं अर्हता

दारु श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित डेयरी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के समय राज्य में लागू आरक्षण प्रावधान के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा।

5.1 मूल निवासी की शर्त : (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)।

5.1.1 जो भारत का नागरिक हो।


Director Extension Education
DSVCKV, DURG

5.1.2 (क) जिसने विगत पाँच वर्षों की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो।

(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो:

(1) छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकार। (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)

अथवा

(2) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं।) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 01 जनवरी 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो। (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र)

स्पष्टीकरण-1 छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी:

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये निर्देश लागू होंगे।

टिप्पणी: छत्तीसगढ़ मूल निवासी संबंधी प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की गोल सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण-2 अभिभावक:-

किसी भी उम्मीदवार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में समक्ष न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-3 दत्तक पुत्र/पुत्री

यदि कोई आवेदक सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग 1 अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हो। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा किन्हीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

5.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)

5.2.1 छत्तीसगढ़ राज्य के (मूल निवासी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के पुत्रों/पुत्रियों के लिये प्रवेश के समय छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों/दिशा निर्देशों का पालन कर सीटों को आरक्षित किया जायेगा।

5.2.2 ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधी दस्तावेजों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेश लागू होंगे।

5.3 कृषक

5.3.1 सभी श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में कार्यरत किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो, के पुत्र/पुत्रियों के लिये 5 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी आवेदन फार्म में कृषक वर्ग हेतु आवेदन करता है और वह मेरिट में आता है लेकिन किन्हीं कारणों से वह निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र नहीं लाता है तो उसे कृषक वर्ग में

प्रवेश का लाभ नहीं दिया जा सकता। तथापि उसकी मेरिट जिस वर्ग/संवर्ग का वह अभ्यर्थी है उसमें मान्य होगी एवं उसे सीट उपलब्ध होने पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। अभ्यर्थी इस वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या देखकर ही उस वर्ग के विकल्प को चुनें।

5.3.2 इस वर्ग के प्रत्याषियों को आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र/पुत्रियों को प्राप्त होगा जिन्होंने प्राथमिक (कक्षा पांचवी), माध्यमिक (कक्षा आठवीं), मैट्रिक/हाईस्कूल (कक्षा दसवीं) तथा उच्चतर माध्यमिक (कक्षा बारहवीं) में से कोई दो परीक्षाएं ग्रामीण क्षेत्र की शाला से नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण की हो। यह नियम स्वाध्यायी छात्रों के लिये भी समान रूप से लागू होगा।

5.3.3 शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत होना प्रमाणित करने के लिये तहसीलदार अथवा विकासखंड अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र मान्य होगा।

5.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

5.4.1 सभी श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों/पौत्र/पौत्रियों के लिये 03 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा।

5.4.2 इस वर्ग में आरक्षण का लाभ लेने हेतु वे छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं और जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी/सूची में दर्ज है। इसी अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक उनकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में हो तो उसे भी आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

5.4.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ से संबंधित जिले के कलेक्टर से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.5 महिला

सभी श्रेणी के अंतर्गत (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी) महिला उम्मीदवारों के लिये 30 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा।

5.6 दिव्यांग उम्मीदवार

5.6.1 ऐसे उम्मीदवार जो दिव्यांग हों, उनके लिये सीटों का आरक्षण शासन के नियमानुसार होगा।

5.6.2 इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को जिला चिकित्सा मंडल तथा अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, दिव्यांगों हेतु व्यवसायिक पुर्नवास केन्द्र (Superintendent, Vocational

Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour)
नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगे ।

5.7 भूतपूर्व सैनिक / Ex serviceman (Ex.)

सभी श्रेणी के अंतर्गत प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक (सैनिक/भूतपूर्व सैनिक) के पुत्र/पुत्रियों के लिये 03 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं। प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक सैनिक/भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों के कलेक्टर से प्रारूप 6ए या 6बी में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

5.8 आरक्षित सीटों पर प्रतिशत निकालते समय दशमिक अंक 0.5 या उससे अधिक होने पर एक तथा 0.5 से कम होने पर शून्य माना जावेगा। ये नियम सीटों की संख्या निर्धारण में ही लागू होगा तथा न्यूनतम अंक सीमा प्रतिशत में लागू नहीं होगा।

6. प्रवेश प्रक्रिया

6.1 दुग्ध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पी.ई.टी. 2024 के भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों के आधार पर तैयार प्रावीण्यता सूची के अनुसार ही किया जावेगा।

6.2 पी.ई.टी. 2024 के परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालय स्तर पर की जावेगी।

6.3 प्रवेश का अवसर लेने हेतु विस्तृत काउंसलिंग कार्यक्रम की तिथि की जानकारी राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जावेगी और प्रवेश हेतु प्रवेश का अवसर लेने हेतु पृथक से बुलावा पत्र (Call Letter) नहीं भेजा जावेगा। प्रवेश की काउंसलिंग कार्यक्रम की तिथि के संबंध में जानकारी दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cgkv.ac.in पर भी उपलब्ध कराई जावेगी।

6.4 रिक्त सीटों पर प्रवेश

6.4.1 आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याषी उपलब्ध न होने पर, रिक्त सीटों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग में भी प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में उनके रिक्त सीटों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

6.4.2 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए रिक्त सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त सीट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के अतिरिक्त सीटों को

अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त सीट सामान्य श्रेणी के बिना वर्ग के उम्मीदवार से भरे जावेंगे।

6.4.3 यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलाएं न मिले तो उनके रिक्त सीटों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।

6.5 पी.ई.टी. द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची समाप्त हो जाने पर के पश्चात रिक्त सीटों पर प्रवेश

6.5.1 पी.ई.टी. द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची समाप्त हो जाने पर के पश्चात यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो उस पर प्रवेश हेतु निम्न अर्हताधारी उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा जिसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा डेयरी पॉलीटेक्निक की रिक्त सीटों की संख्या दर्शाते हुए अलग से विज्ञापन जारी किया जावेगा।

6.5.2 दुग्ध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12 वीं कक्षा में भौतिक, रसायन, एवं गणित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो।

6.5.3 ऐसे आवेदक जो वर्ष 2024 की मुख्य अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

6.5.4 दुग्ध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक ही किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त सीट रिक्त रहने पर उन्हें नियमानुसार भरने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा क्योंकि विश्वविद्यालय में सेमेस्टर पद्धति से पढ़ाई से होती है।

7.0 पी.ई.टी. परीक्षा के आधार पर प्रवीण्य सूची घोषित करने की विधि :-

7.1 आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हें सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जायेगा व उतनी संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम प्रवेशित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा, परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों में होरिजन्टल आरक्षण के अंतर्गत वर्गों में लागू नहीं होगा।

7.2 आरक्षित श्रेणी/वर्ग के जिन प्रत्याशियों को सामान्य निल श्रेणी में प्रवेश प्राप्त हो रहा है उन्हें भी निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

7.3 पी.ई.टी. 2024 में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रवीण्यता निम्नलिखित मापदण्डों के आधार निर्धारित की जायेगी । इस हेतु पी.ई.टी. 2024 के पाठक्यों के लिए विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्ताकों को आधार मानकर निश्चित की जायेगी :-

1. गणित 2. भौतिक 3. रसायन

उक्त तीनों विषयों में भी समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों में प्राथमिकता अधिक उम्र वाले विद्यार्थी को दी जायेगी । यदि उपरोक्त के अनुसार उम्र भी समान होगी तब 12 वीं के कुल प्राप्ताकों के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी ।

8. प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण :

प्रवेश के लिए आवेदक को पाठक्य में संबंधित प्रवेश नियमों में उल्लेखित योग्यता/अर्हता शर्तों को पूरा करना होगा । आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्रों में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु निम्नलिखित आवश्यक मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे ।

(1) पी.ई.टी. की अंक सूची (2) 10वीं की अंकसूची (3) 12वीं की अंकसूची (4)छ0ग0 के मूल निवासी प्रमाण पत्र (5)जाति प्रमाण पत्र (6) आय प्रमाण पत्र (7)वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र (8) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (9) अंतराल प्रमाण पत्र (10) प्रवजन प्रमाण पत्र (11)चरित्र प्रमाण पत्र (12) चिकित्सा प्रमाण पत्र

9.0 अभ्यर्थियों हेतु अन्य शर्तें एवं जानकारियाँ

9.1 आवेदक को उसी श्रेणी के अंतर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा ।

9.2 जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप अथवा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

9.3 उम्मीदवार द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।


Director Extension Education
DSVCKV. DURG

9.4 यदि संस्था किसी ऐसे अभ्यर्थी का चयन कर लेते हैं/प्रवेश दे देते हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता/अर्हता नहीं रखता है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया जावेगा /जानकारी होने पर विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी निष्काषित कर दिया जावेगा और इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं/संस्था उत्तरदायी होंगे ।

9.5 दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत आने वाले पॉलीटेक्निक संस्थानों में रैगिंग पूर्णतः निषेध है।

10 प्रवेश निरस्तीकरण:-

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था, तो संस्था प्रमुख /विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।

प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, पशुपालन विभाग सर्वोच्च निर्णायक होगा यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है तो उसके निराकरण का अधिकार दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग को होगा। प्रवेश नियमों में किसी प्रकार के संशोधन का अधिकार दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग को होगा।


Director Extension Education
DSVCKV, DURG

प्रमाण पत्रों का प्रारूप

प्रारूप - 1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)अनुभाग जिला छत्तीसगढ़ पुस्तक क्रमांक
प्रमाण पत्र क्रमांक प्रकरण क्रमांक

स्थायी जाति प्रमाण-पत्र

- यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... पिता का नाम निवास ग्राम
/नगर.....पटवारी हल्का नं.....वि.खं.....तहसीलजिला.....
.....सभाग.....
जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के
अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संघ में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और
यहजाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के
अन्तर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित है अतः श्री/सुश्री.....
.....पिता/पति का नामअनुसूचित जाति/जनजाति का/की
है।
- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री..... के परिवार की
कुल वार्षिक आय रुपये..... है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

- अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
- केवल विभक्तिलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गये प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी (ब) सभागीय मजिस्ट्रेट (स) तहसीलदार (द) नायब तहसीलदार (ए) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, ग्रहण/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये न कि अभ्यर्थी के अभिभावक के द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप - 2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमी लेयर को छोड़कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़ पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक

स्थायी जाति प्रमाण-पत्र

- 1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....आत्मज श्री.....
निवास ग्राम.....जिला संभाग.....छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो
जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिम जाति, अनुसूचित
जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर,
1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला
संभाग..... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ के राज्य में दिनांक
को प्रवजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्रीकीमी लेयर (संपन्न वर्ग)
व्यक्तियों/वर्गों की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र
क्रमांक 360/2122/93/स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-03 द्वारा जारी सूची में कालम-3 में तथा
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च
1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

- 2 यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री के परिवार की कुल
वार्षिक आय रुपये.....है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी नाम

पदनाम एवं सील

प्रारूप -3
कार्यरत किसान प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम
- के माता - पिता/श्री/श्रीमती.....
- वास्तविक कार्यरत स्थाई किसान है उनके पास
- हेक्टेयर भूमि गांव तहसील.....
- जिला राज्य छत्तीसगढ़ में है।
- वे कार्यरत वास्तविक कृषक है तथा इनकी जीवित पूर्णतः कृषि पर निर्भर है तथा खेती के अतिरिक्त नौकरी या अन्य पेशे में सलग्न नहीं है।

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी
सील

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि:-

श्री/श्रीमति/कुमारी..... ने 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं में से निम्न कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र/छात्राओं के रूप में ग्रामीण क्षेत्र की निम्न शालाओं में किया/अथवा स्वाध्यायी छात्र/छात्राओं के रूप में निम्न 2 परीक्षाएं ग्रामीण क्षेत्र की निम्न परीक्षा केन्द्रों से उत्तीर्ण की है-

1. 5वीं कक्षा (प्राथमिक)
2. 8वीं कक्षा (माध्यमिक)
3. 10वीं कक्षा (मैट्रिक हाईस्कूल)
4. 12वीं कक्षा (उच्चतर माध्यमिक)

स्थान :

दिनांक:

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी
सील

प्रारूप -4

जम्मू एवं कश्मीर के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण-पत्र

सदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी का नाम) जे
 प्रथम वर्ष स्नातक में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री
(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित
 है।

स्थान

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप -5

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

सदम कमाक..... दिनाक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी का नाम)
 श्री/सुश्री(अभ्यर्थी के
 पिता/माता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री.....
(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)का नाम छत्तीसगढ़ के जिला.....के
 कलेक्टर कार्यालय में सधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में कमाक.....पर
 पजीकृत है।

स्थान

दिनाक:.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा
 प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से
 अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी
 पदनाम एवं सील

प्रारूप -6 (ए)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

सदस्य क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (माता-पिता का नाम)

परीक्षा के आधार पर बी. एफ. एस. सी. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम)
पिता/माता है।(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे
पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांकथा।(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पद पर सर्विस क्रमांक
के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए हैं/सेवा के
दौरान उनकी मृत्यु वर्ष..... में हो चुकी है।

स्थान :

दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय सील

प्रारूप -6 (बी)
सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र
कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

राज्य क्रमांक दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) स्नातक प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री.....
.....(अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता (जो लागू न हो उसे काट दे) है व
थलसेना/वायुसेना/नौसेना मेंओहदे पर सर्विस क्रमांक
...के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मिक है और वह प्रतिरक्षाईकाई में पदस्थ हैं। वे इस
ईकाई में दिनांकसे सेवारत है।

स्थान :

दिनांक

(हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा)
कार्यालय सील
कमांडिंग आफिसर

प्रारूप -7

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

सदस्य क्रमांक..... दिनांक.....

1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री
 आत्मज/आत्मजा/पत्नी.....निवास.....
 तहसील..... व जिला..... छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है:-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है।

2. (क) वह

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन)
 छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

3. उसके पालकों में से कोई भी:-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

अथवा

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अंचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है।

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो अर्थात्-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा।

प्रारूप -8

कार्यरत मछुआरा प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम..... के
माता-पिता श्री/श्रीमती..... उनके पास

हक्टेयर..... गांव..... तहसील.....

जिला..... राज्य छत्तीसगढ़ में है तथा केवल वास्तविक मछुआरा

समुदाय से हैजिनकी जीविका पूर्ण रूप से मछुआरा कार्य पर निर्भर हैं इसके अतिरिक्त नौकरी या
अन्य पेशे में संलग्न नहीं है।

स्थान

दिनांक

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी

सील